(ग) और (घ) नवम्बर, 1994 से केन्द्रीय भण्डार को, उपयुक्त दुकान में आपूर्ति की जा रही गेहूं तथा चीनी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में तीन शिकायतें मिलीं। चीनी की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत सही नहीं पाई गई। तथापि, गेहूं की गुणवत्ता के सम्बन्ध में शिकायत मिलने पर, राशन कार्डधारियों तक इसके वितरण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई और ताजा गेहूं प्राप्त करके उन्हें उपलब्ध कराया गया। केन्द्रीय भण्डार की उचित दर दुकानों के लिए राशन की वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है जो विभिन्न स्तरों पर वस्तुओं की गुणवत्ता की बड़ी जांच करता है। केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर भी राशन वस्तुओं की गुणवत्ता की आवश्यक जांच करके केवल अच्छी किस्म का माल उठाएं।

कम तोलने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Inferior quality of foodgrains items in F P S

1635. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the inferior quality of foodgrain items are supplied at Kendriya Bhandar Fair Price Shop situated at CPWD Housing Complex, Vasant Vihar, New Delhi;

(b) if so, what are the reasons for availability of inferior quality of food grain items at the aforesaid fair-price shop; and

(c) what steps Government propose to take to provide better quality of foodgrain items to the residents of the said colony?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) to (c) It is not correct to say that inferior quality of food grain items are supplied through the Kendriya Bhandar's Fair Price Shop situated at CPWD Housing Complex, Vasant Vihar. The food grain items are supplied by the Food Corporation of India for the Fair Price shops of Kendriya Bhandar. Bofore supply Food Corporation of India carries out strict quality checks. The Kendriya Bhandar also conducts quality checks at the time of receipt of stocks. Specific complaints received in this regard are looked into for taking remedial action.

सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) के स्थान पर नकद भुगतान

1636. **श्री गोविन्दराव आदिक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी गृह नगर के मामले में 2 वर्ष में एक बार और गृह नगर के अतिरिक्त भारत में किसी भी स्थान के लिए 4 वर्ष में एक बार एल०टी०सी० सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसे मामलों में बहुत-सी अनियमितताएं पाई गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अनियमितताओं से छुटकारा पाने के लिए अपने कर्मचारियों को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उनके वेतन के बराबर नकद धनराशि का भुगतान करने का विचार रखती है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कर्मचारी गृह नगर के मामले में दो वर्ष के एक ब्लाक में एक

बार तथा भारत में किसी भी स्थान के लिए चार वर्ष के एक ब्लाक में एक बार एल०टी०सी० सुविधा प्राप्त करने के हकदार हैं । भारत में किसी भी स्थान की यात्रा की सुविधा चार वर्ष के ब्लाक के दौरान उपलब्ध दो गृह नगर रियायतों में से एक की एवज में है ।

(ख) चूंकि छुट्टी यात्रा रियायत के दावों की जांच तथा उन पर कार्रवाई विभिन्न मंत्रालयों, विभागों/कार्यालयों से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा की जाती है, अतः अलग-अलग मामलों में अनियमितताओं के संबंध में सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) छुट्टी यात्रा रियायत एक ऐसी सुविधा है जो सरकारी कर्मचारी को अपने सामाजिक दायित्व निभाने के लिए दो वर्ष में एक बार गृह नगर जाने अथवा अपने देश की विविध सांस्कृतिक विरासत से परिचित होने के लिए चार वर्ष में एक बार भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए प्रदान की जाती है । इस सुविधा के एवज़ में नकद भुगतान करना योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं होगा ।

Public grievances

1637. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many public grievances have been registered with the Department during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(b) in how many cases action has been initiated to redress the grievances during 1991-92, 1992-93 and 1993-94;

(c) what is the maximum time taken to dispose of the grievances;

(d) what is the procedure followed after receipt of the grievances; and

(e) whether proper publicity is being given through media about the existence of public grievances department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) During 1991-92, 1992-93 and 1993-94, 14248, 16711 and 14767 public grievances respectively were receied by the Ministry of Personnel, Public Grievances and pensions.

(b) Action has been initiated in all these cases.

(c) The time taken for disposal of a grievances depends upon various factors such as number of agencies/departments involved, nature of grievance, availability of documents and requisite information from the complainant's side, etc. However, all steps are taken to ensure the expeditious disposal of all grievances.

(d) The grievances received by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances are scrutinised and sent to the concerned Ministries/Departments for redressal. These grievances are duly acknowledged and the complainant is informed about the interim action taken. The sanction of payment of pension operates on a decentralised basis. Therefore, complaints relating to pension received in the Department of pension and pensioners' Welfare are forwarded to the concerned Ministries/Departments for prompt action. These are, however, monitored by the Department to check delays in their final settlement. The Department also has a standing Committee of Voluntary Agencies (SCOVA) in which twelve prominent Pensioners' Associations are represented. The Minister of State (PP) holds meetings with them twice a year.

(e) Instructions have been issued by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances advising all Ministries/Departments for displaying the name, designation, room number, telephone number etc. of their Director of Grievances at the reception and other convenient places, placing a locked complaint box at the reception and strictly oberving meetingless day, on every wednesday. A Joint Secretary level officer has been designated in every Ministry